



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone 0141-2716832

E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्र.-एफ 8(82)/रा.प्र.नि.मं./स्टोर/पार्ट-II/2065-2069 दिनांक:- 4-2-26

निदेशक (संवाद),
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशित करवाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि संलग्न बोली सूचना एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में दिनांक 09.02.2025 तक प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।

B
10/2
ACR

(ओ. पी. शार्दूल)

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)

क्र.-एफ 8(82)/रा.प्र.नि.मं./स्टोर/पार्ट-II/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- ✓ 3. ग्रुप प्रभारी (आईटी), रा.प्र.नि.मं., जयपुर को लेख है कि उक्त सूचना को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
4. कैशियर, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
5. सूचना पट्ट, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone 0141-2716832

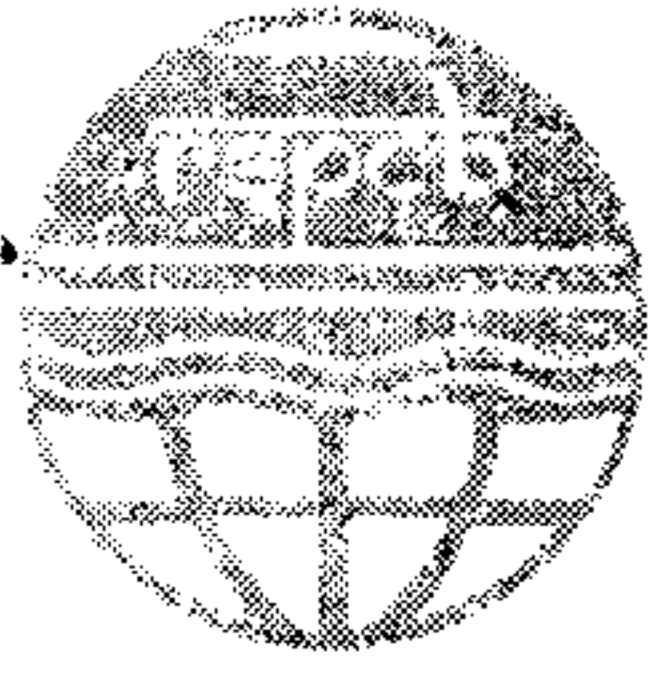
E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्र.-एफ 8(82)/रा.प्र.नि.मं./स्टोर/पार्ट-II/2065-2069 दिनांक:-4-2-26

नीलामी सूचना

मण्डल में अनुपयोगी सामान (store items/building material/parking/electric item) की नीलामी की जानी है। नीलामी की तिथि 24.02.2026 समय प्रातः 11.00 बजे निर्धारित है। उपस्थित बोलीदाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष बोली लगाकर, सामान को नीलाम (जहां है जैसा है) किया जावेगा। नीलाम किए जाने वाले सामान की बोली राशि रुपये 63,139.74 (अक्षरे राशि त्रेसठ हजार एक सौ उनतालीस रुपये चौहत्तर पैसे मात्र) है। विस्तृत विवरण राज्य मण्डल की वेब साइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> पर उपलब्ध है। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता, धरोहर राशि 12,700/- जमा करवाकर ही बोली में भाग ले सकेंगे।

प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone 0141-2716832

E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी स्थल पर प्रत्येक बोली लगाने वाले को बोली लगाने से पहले धरोहर राशि रुपये 12,700 /— (रुपये बारह हजार सात सौ मात्र) जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी।
2. असफल बोली लगाने वालों को उक्त धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद लौटा दी जावेगी। सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में धरोहर राशि उसके द्वारा देय सामान के क्रय मूल्य में समायोजित कर ली जावेगी।
3. एक बार बोली समाप्त होने पर नाकारा सामान के बारे में कोई शिकायत विचारार्थ स्वीकार नहीं की जावेगी और नाही बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकेगा।
4. उच्चतम बोली की एक चौथाई राशि, सामान नीलामी के तुरन्त बाद नीलामी स्थल पर ही जमा करवानी होगी।
5. शेष तीन चौथाई राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाना होगा। बैंक ड्राफ्ट सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। नीलामी के दिन से तीन दिन के अन्दर नीलाम किये गये सामान की सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी। तीन दिन में राशि जमा नहीं करवाने पर 1000 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देय होगा। नीलामी तिथि से सात दिवस तक राशि जमा नहीं करवाने पर जमा करवायी गयी एक चौथाई राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. नीलाम किये गये सामान को नीलामी के दिन से सात दिवस के अंदर उठाना आवश्यक है। सात दिवस में सामान नहीं उठाने पर 500 /— रुपये प्रति दिन की दर से जुर्माना वसूला जावेगा।
7. सामान जहां है, जैसा है उसी हालत में नीलाम किया जावेगा। सामान की नीलामी के पश्चात् उसमें किसी नुकसान या कमी के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा।
8. विक्रय मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से GST का भी भुगतान सफल बोली दाता द्वारा किया जावेगा।
9. राज्य मण्डल का कोई भी कार्मिक बोली नहीं लगा सकेगा।
10. बिना कारण बोली स्वीकार करने या अस्वीकार करने बोली को स्थगित या निरस्त करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
11. उक्त शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी शक का समाधान/खुलासा के लिए नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
12. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (RSPCB), जयपुर से एकत्रित ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 केन्द्रिय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (CPCB) द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार Environment Friendly Manner में ही भण्डारण/पुनः निस्तारण किया जावेगा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. इच्छुक बोलीदाता नीलामी तिथि से पूर्व यदि सामान का अवलोकन करना चाहे तो कार्यालय समय में भण्डारपाल (श्री रतन लाल शर्मा) से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
14. न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।


प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)